

सामुदायिक वन संसाधनों (Community Forest Resource) के दावों की वैधानिक प्रकटीकरण प्रलेख

वन अधिकार अधिनियम 2006, धारा 3(1)(i) के तहत, मध्यप्रदेश राज्य, मंडला जिले, निवास तहसील के प्राधिकारियों को प्रस्तुत वैधानिक दावा।

यह आधिकारिक मांग भीमराई ग्राम के निवासियों की ओर से, भीमराई ग्राम पंचायत एवं भीमराई ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्तुत है।

ग्राम सभा के अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि रामलाल मरावी इस प्रलेख पर हस्ताक्षर करते हैं।

इस दावे में शामिल सदस्य अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पारंपरिक वनवासी नामक विधिक श्रेणी द्वारा संरक्षित हैं।

दावाकृत वन संसाधन क्षेत्र की भौगोलिक, भूमि मापन एवं सीमा संबंधी वैधानिक प्रविष्टियाँ:

दावे के अधीन वन क्षेत्र का वैधानिक खसरा (Khasra) या वन विभाग कम्पार्टमेंट नंबर 145/2A राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

राजस्व मानचित्र के अनुसार, इस क्षेत्र के साथ सीमा साझा करने वाले पड़ोसी ग्राम कन्हेरी और देवगांव हैं।

संपूर्ण दावाकृत वन संसाधन क्षेत्र की भौगोलिक एवं स्थलाकृतिक सीमाएं उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में आरक्षित वन, पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिम में कृषि भूमि के रूप में अत्यंत स्पष्टता से परिभाषित हैं।

इन सीमाओं के भीतर मौजूद वन संसाधनों का स्थायी उपयोग और प्रबंधन करने का रूढ़िगत वैधानिक अधिकार इस समुदाय के पास है।

इस क्षेत्र में वन संपदा के पुनरुत्पादन का उत्तरदायित्व और अधिकार कानूनी रूप से ग्राम सभा को सौंपा जाना चाहिए।

प्रामाणिक साक्ष्यों की प्रस्तुति एवं विधिक दावों की पुष्टि:

इस समुदाय के पारंपरिक संबंध को प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्यों की आधिकारिक सूची 1995 का वन रिकॉर्ड, ग्राम सभा प्रस्ताव प्रति, राजस्व नक्शा प्रति संलग्न है।

साथ ही, ग्राम्य रिकॉर्ड और ऐतिहासिक प्रलेखों जैसे अतिरिक्त पुष्टिकर साक्ष्य 1980 की मतदाता सूची और वन अधिकार समिति की रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

ये सभी प्रलेख अधिनियम के नियम 13 के तहत विधिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य और मान्य हैं।

इन प्रमाणों के आधार पर, संपूर्ण क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन का वैधानिक अधिकार ग्राम सभा को प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार इस दावे पर शीघ्र समीक्षा कर राजपत्रित आदेश जारी करने का आग्रह किया जाता है।